वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
नियन्त्रक (वित्त)कार्यालय

रावतभाटा रोड कोटा– 324021 राजस्थान

क्र:स / वमखुवि / केन्द्रीय भण्डार / 25 / 127 दिनांक:–14 / 11 / 2025

रद्दी नीलामी सूचना / AuctionNotice

विश्वविद्यालय के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्र,अजमेर,बीकानेर, भरतपुर,जयपुर,जोधपुर,कोटा एवं उदयपुर पर उपलब्ध अनुपयोगी परीक्षा उत्तर–पुस्तिकाऐं,पाठ्य सामग्री पुस्तके,आन्तरिक मूल्यांकन,अखबार एंव अन्य रद्दी (Mix) विक्रय हेतु लुग्दी बनाने वाली जी0एस0टी0 रजिस्टर्ड फर्मों से सील बन्द लिफाफे में बोली आमन्त्रित की जाती है, जिसका अनुमानित वजन 15 टन एंव अनुमानित राशि 02.00 लाख रूपये है। बोली का प्रारूप एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेब साईट www.vmou.ac.inपोर्टल पर दिनांक:–20 / 11 / 2025 से डाउनलोड कर सकते हैं । वेब साईट से बोली प्रपत्र डाउनलोड करने पर बोली प्रति भूति राशि रू 4000 / –एवं प्रपत्र शुल्क रू 500.00 का डिमान्ड ड्राफ्ट अलग–अलग ,**वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा** के पक्ष में संलग्न करना होगा।

नियन्त्रक (वित्त)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
नियन्त्रक (वित्त)कार्यालय

रावतभाटा रोड कोटा– 324021 राजस्थान

Waste Paper Auction Notice

बोली फार्म संख्या.................................

सामग्री का नाम :–अनुपयोगी उत्तरपुस्तिकायें एवं अन्य रद्दी विकय हेतु।

मूल्य रूपये 500/– मात्र

अनुमानित राशिः–2.00 लाख/–	बिड डाउनलोड की तिथि 20/11/2025 से 02/12/2025 को 05.00 बजे तक
बोली प्रतिभूति रूपये 4000/–मात्र	बिड जमा करने की तिथि 03/12/2025 को 01.00 बजे तक
बोली प्रपत्र शुल्क 500/–	बिड खोलने की तिथि 03/12/2025 को सांय 03.00 बजे
बोली प्रतिभूति बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा के पक्ष में देय हो। चैक स्वीकार्य नहीं होगा।	

1. बोली प्रस्तुत करने वाली कागज निर्माता फर्म: का नाम व डाक का पूरा पता ____________________
2. जी. एस. टी. नम्बर ____________________
3. प्रोपराइटर/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम जिससे सम्पर्क किया जा सके ____________________
4. क्या फर्म बोली सूचना की समस्त शर्तो का पालन करने के लिये सहमत हैं। ____________________
5. क्याबोलीदाता फर्म का कागज/कागज की लुग्दी बनाने का स्वयं का कारखाना है, यदि हॉ तो उसकी क्षमता । ____________________

प्रभारी
क्रय एवं भण्डार
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

नीलामी बोली प्रपत्र

क्र0 स0	सामग्री का विवरण	अनुमानित वजन	दर प्रति किलोग्राम (अंको में)	दर प्रति किलोग्राम (शब्दों में)
1	प्रयुक्त उत्तर–पुस्तिकाऐं	10 टन		
2	क्षेत्रीय केन्द्रों पर उपलब्ध आन्तरिक मूल्यांकन(प्लास्टिक कवर / हेण्डमेंड फाईल कवर सहित)अखबार / ओ0एम0आर0 शीट (क्लॉथ लाईन लिफाफे सहित) एवंविविध प्रपत्र (फाईलें सहित) गत्ता एवं समस्त प्रकार की मिक्स रद्दी	02 टन		

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर

प्रभारी
क्रय एवं भण्डार
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

रद्दी विकय हेतु जारी बोली की शर्ते

1. रद्दी की दर प्रति किलोग्राम के हिसाब से अंको और शब्दों दोनो में अंकित की जानी चाहिये ।
2. बोली मोहरबन्द लिफाफे बोली प्रतिभूति राशि रू0 4000/–के साथ दिनांक 03/**12/2025** समय अपरान्ह 01.00 बजे तक वमखुवि कोटा के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट बनवा कर बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करे। चैक स्वीकार नहीं किये जावेगें। पूर्व में जमा प्रतिभूति राशि यदि कोई हो तो इस निविदा के लिये मान्य नहीं होगी। प्रतिभूति राशि के अभाव में बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. समिति को यह अधिकार होगा किवह किसी भी बोली को बिना कारण बताये आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकृत अथवा निरस्त कर सकेगी।
4. विश्वविद्यालय द्वारा नीलामी दरें स्वीकृत किये जाने पर क्षेत्रीय केन्द्र,अजमेर,बीकानेर,भरतपुर,जयपुर, जोधपुर,कोटा,उदयपुर एवं मुख्यालय पर उपलब्ध सम्पूर्ण माल अनुबन्ध होने की तिथि से विश्वविद्यालय के अवकाश को छोडकर 90 दिवस के अन्दर उठाना होगा। इस अवधि में अवकाश के दिन शामिल नहीं होगें । निर्धारित अवधि में माल न उठाने पर निम्नानुसार शास्ति राशि की वसूली की जावेगी, जिसका समायोजन धरोहर राशि में से किया जावेगा।–

क सं	विलम्ब अवधि	
1.	1/4 अवधि तक विलम्ब दर	2.5 प्रतिशत कुल बोली मूल्य का
2.	1/2 अवधि तक विलम्ब दर	05 प्रतिशत कुल बोली मूल्य का
3.	3/4 अवधि तक विलम्ब दर	7.5 प्रतिशत कुल बोली मूल्य का
4.	3/4 से अधिक अवधि पर विलम्ब दर	10प्रतिशत कुल बोली मूल्य का

5. जिस बोलीदाता की दरें स्वीकार होगी, उनको अनुमोदितकुल मूल्य की 25 प्रतिशत राशि वमखुवि कोटा के नाम बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति राशि के रूप में दर स्वीकृत की सूचना मिलने के पन्द्रह दिवस में आवश्यक रूप से जमा करानी होगी एवं निर्धारित प्रपत्र में एक हजार रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करना होगा । सफल बोलीदाता को प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त सामग्री उठाते समय प्रत्येक लॉट की कीमत विश्वविद्यालय की लेखा शाखा में जमा करानी होगी। कीमत पूर्ण जमा होने पर ही माल उठाया जा सकेगा। प्रतिभूति राशि का समायोजन किसी भी लॅाट या अंतिम लॅाट की कीमत में नहीं किया जायेगा तथा प्रतिभूति राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सन्तुष्टि के पश्चात ही लौटाई जावेगी।
6. बोली स्वीकृति के पश्चात् सफल बोलीदाता सामान्य दशा में 15 दिन में करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार के विफल रहने को निबंधनों तथा शर्तों का भंग होना माना जावेगा तथा धरोहर राशि जब्त की जा सकती है। तदोपरान्त बिना नोटिस अन्य बोलीदाता को कार्यादेश देने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
7. **स्वीकृति पर सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि 90 दिवस में अनिवार्य रूप से माल न उठाने परमाननीय कुलपति की स्वीकृति उपरान्त नियन्त्रंक (वित्त) को यह अधिकार**

प्रभारी
क्रय एवं भण्डार
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

होगा कि निविदादाता की जमा करवाई गई धरोहर/प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जावेगा।

8. माल भरने से पूर्व खाली बोरे तुलवाने होगें। माल का वजन अन्दाजन है। माल कम या अधिक हो सकता है। माल उठाने एवं तुलवाने आदि का व्यय फर्म को ही वहन करना होगा।
9. उपयोग मे ली गई उत्तर–पुस्तिकाओं/आंतरिक मूल्यांकन व अन्य अनुपयोगी सामग्री का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाता द्वारा किसी भी कार्य दिवस में प्रभारी,क्रय एवं भण्डार/सम्बन्धित अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है।
10. किसी भी प्रकार विवादास्पद स्थिति में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। कानूनी कार्यवाही की स्थिति में राजस्थान में कोटा स्थित न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार रहेगा।
11. उपरोक्त शर्तों के अलावा बोलीदाता द्वारा निविदा में जोडी गयी कोई भी अन्य शर्त मान्य नहीं होगी।
12. नियमानुसार जी0एस0टी0 एवं सरकार को देय अन्य कर लागू होता है तो कर की सम्पूर्ण राशि निविदादाता द्वारा विश्वविद्यालय में पृथक से खाते में जमा करवाकर इस कार्यालय को चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी । इसके अभाव में प्रतिभूति राशि लौटाया जाना संभव नहीं होगा ।
13. निविदा उन फर्मो/व्यापारियों द्वारा ही दी जानी है जो या तो रद्दी के लिये रजिस्टर्ड/अनुमोदित केता हो । वास्तव में व्यवसाय कर रहा हो इसके लिये फर्म के पास जी0एस0टी0 नम्बर का होना अनिवार्य है।
14. बोलीदाता अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौप सकेगा और न किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।
15. राजस्थान के राजकीय निगम/उपक्रम/बोर्ड/राजकीय विभाग को धरोहर एवं प्रतिभूति राशि को जमा कराने से छूट प्राप्त है। S.S.I. units को preference of Industries of Raj. Rules 1995 में अंकितानुसार सीमा तक छूट देय होगी।
16. बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि निविदा के अन्तिम निर्णय उपरान्त असफल बोलीदाता को एक माह के भीतर लौटा दी जायेगी। किन्तु सफल निविदादाता की धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि के एक भाग के रूप में मान लिया जायेगा।
17. निविदादाता को निविदा एवं संविदा की शर्तो एवं प्रतिबंध की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप निविदा के प्रपत्र एवं निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करने होगें।
18. निविदादाता माल/अनुपयोगी उत्तरपुस्तिकाऐं एंव अन्य रद्दी को देखकर व माल के वजन का अन्दाजा लगा कर प्रति किलोग्राम के हिसाब से टेण्डर की दरें देगा। समस्त माल कार्यालय से जिस स्थिति में जहां जहां पर भी है पूरा उठाना होगा। बोली खुलने पर इस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा कि माल विशेष ऊपर से अच्छा है और नीचे से खराब है।
19. **परीक्षा की साबुत उत्तर पुस्तिकाऐं आदि फर्म के द्वारा पल्प बनवाने हेतु सीधे मिल को भिजवाना होगा एवं मुद्रित पुस्तिकाओं को गलाकर पल्प में परिणित करना होगा तथा प्रमाण पत्र देना होगा कि समस्त सामग्री का पल्प मिल में बनवा दिया गया है। यदि मुद्रित उत्तर पुस्तिकायें बाजार में विकय हेतु पाई गई तो संबंधित फर्म के विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जावेगी।**
20. फर्म को नवीनतम जी0एस0टी0 प्रमाणपत्र सम्बन्धित सर्किल अधिकारी का निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा प्राप्त होने पर वह अस्वीकृत की जा सकती है।

प्रभारी
क्रय एवं भण्डार
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

21. निबंधनों तथा शर्तो को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर विश्वविद्यालय द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का विनिश्चय ही अंतिम होगा।

22. सफल बोलीदाता को प्रतिभूति की राशि यदि उसमें धरोहर राशि भी सम्मिलित की हुई है संविदा के पूर्ण होने के पश्चात् समस्त सम्बन्धितों से संतोषप्रद माल उठाने की सूचना व शर्त संख्या 19 के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर एक माह बाद लौटा दी जावेगी। ऐसी प्रतिभूति राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

23. बोलीदाता को अपने कार्यालय व गोदाम के भू–गृह आदि का पूरा पता निश्चित रूप से देना चाहिये ताकि वहां जाकर निरीक्षण किया जा सके और उस व्यक्ति का पता व फोन नम्बर भी अवश्य दें जिससे इस कार्य हेतु सम्पर्क किया जा सके। ऐसे व्यापारियों जिन्होनें कारोबार नया ही शुरू किया हो उनके लिये अपने बैंकरों का परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

24. विक्रय की गई रद्दी का परिवहन अनुमोदित क्रेता को पूर्ण सावधानी के साथ इस प्रकार करना होगा कि समस्त अनुपयोगी सामग्री को मजबूत त्रिपाल आदि से चारों ओर से इस ढंग से कवर्ड करना होगा ताकि परिवहन के दौरान मार्ग में कहीं पर भी अनुपयोगी सामग्री गिरने नहीं पावे। यदि मार्ग में कहीं पर भी गिरने की रिपोर्ट/जानकारी विश्वविद्यालय को होती है तो निविदादाता के विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिये बोलीदाता स्वयं ही उत्तरदायी होगा।

25. स्वीकृत बोलीदाता को रद्दी का तौल विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त तोल समिति के सदस्यों की उपस्थिति में विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार धर्म कांटे पर करवाना होगा,यदि तौल के समय रद्दी का वास्तविक मूल्य उस दिन जमा करवाई गई राशि से अधिक होता है तो फर्म द्वारा शेष राशि अगले कार्य दिवस में जमा करवानी होगी।

26. किसी भी शर्त में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से शिथिलता प्रदान करने का अधिकार माननीय कुलपति महोदय को आरक्षित है।

27. अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों/राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के अनुसार होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर

प्रभारी
क्रय एवं भण्डार
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा